सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 158 राँची, बुधवार, 15 मार्च, 2023 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 अगस्त, 2022

संख्या-16/नि०-07/2017- 3294--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (संशोधन सहित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली "**झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2022**" कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्त्ती पद्धति), 2014 (संशोधन सहित) के नियम-3 (ii) में निम्नांकित प्रावधान है:-

''शैक्षणिक योग्यता:- झारखण्ड राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।''

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

''न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-'' झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। ''

3. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्त्ती पद्धति), 2014 (संशोधन सहित) के नियम-06 (i) में निम्नांकित प्रावधान है:-

''आवेदन-पत्र संकलन के उपरान्त आवेदन-पत्रों की जाँच की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, सिर्फ वहीं आवेदक लिखित परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। आवेदन पत्रों के जाँचोपरान्त पात्रता के अनुसार अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा ।''

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

''आवेदन-पत्र संकलन के उपरान्त आवेदन-पत्रों की जाँच की जायेगी। आवेदन पत्रों के जाँचोपरान्त पात्रता के अनुसार अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, तत्पश्चात् शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की चिकित्सीय परीक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे ।''

4. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्त्ती पद्धति), 2014 (संशोधन सहित) के नियम-06 (vi) से (viii) में लिखित परीक्षा के संबंध में किये गये प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

''लिखित परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं कक्षा) संचालन नियमावली (संशोधन सहित) में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।''

5. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्त्ती पद्धति), 2014 (संशोधन सहित) के नियम-06 (ix) में निम्नांकित प्रावधान है:-

''लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हत्तांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के अनुरूप होगा।''

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

''परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं कक्षा) संचालन नियमालवी (संशोधन सहित) में किये गये प्रावधान के अनुरूप होगा।''

6. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्त्ती पद्धति), 2014 (संशोधन सहित) के नियम-06 (xii) एवं 06 (xiii) में किये गये प्रावधान को विलोपित किया जाता है।

7. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्त्ती पद्धति), 2014 (संशोधन सहित) के नियम-05 (i) में किये गये प्रावधान के अतिरिक्त निम्न प्रावधान को जोड़ा जाता है:-

''राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षी के पद नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय आरक्षण नियम व प्रावधान लागू होंगे।''

8. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्त्ती पद्धति), 2014 एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों द्वारा चिकत्सीय परीक्षण के संबंध में किये गये प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न प्रावधान को भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है, यह प्रावधान झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक-5362, दिनांक-04.09.2019 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में किया जाना है, जिसके आलोक में नियमावली के नियम-8 में उप नियम-(iii) को निम्न रूप से जोड़ा जाता है:-

''शारीरिक मापदण्ड अन्तर्गत अभ्यर्थी की ऊँचाई की माप भी चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा तथा इसके निर्णय के विरूद्ध Apex Medical Board के समक्ष अपील किया जा सकेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।''

9. उपरोक्त नियमावली में समय-समय पर किये गये संशोधनों से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाएँ एवं इसमें अंकित प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायें ।

10. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 158 -- 50